न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–प्रथम, आगरा
संस्थित का दिनांक–28.06.2022
निर्णय का दिनांक– 17.09.2025

परिवाद संख्या–84/2022

श्रीमती प्रेमवती उर्फ सत्यवती पत्नी श्री हरी प्रकाश शर्मा निवासिनी ग्राम माहोर, तहसील किरावली, जिला आगरा।

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री नरेश कुमार शर्मा एडवोकेट
————परिवादिनी

बनाम

1– अशोक ऑटो सेल्स ओल्ड कानपुर रोड, थाना एत्मादद्दौला, नुनिहाई, आगरा।
द्वारा एम0 डी0

2– टाटा मोटर्स लि0 चतुर्थ तल, सी0 वी0 बी0 यू0 अहूरा सेंटर– 82, महाकाली केव्स रोड, शान्तीनगर, एम0 आई0 डी0 सी0 अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई– 400093
द्वारा एम0 डी0

3– एच0 डी0 एफ0 सी0 इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, एच0 डी0 एफ0 सी0 हाउस, 165–166 वेकबे, रीक्लेमेशन, एच0 डी0 पारिख मार्ग, चर्च गेट, मुम्बई– 400020 द्वारा – एम0 डी0
शाखा कार्यालय– द्वितीय तल, अजन्ता प्लाजा, एम0 जी0 रोड, आगरा
द्वारा शाखा प्रबन्धक

4– एच0 डी0 बी0 फाइनेंसल सर्विसेज लि0, कोठी नं0–13, एम0 एन0 सी0 नम्बर 32/106/4 ए, अरिहन्त टावर, द्वितीय तल, अपोजिट डी0 एम0 कम्पाउन्ड, सांई की तकिया, एम0 जी0 रोड, आगरा 282001

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री राजीव गोयल एडवोकेट
श्री जसमीत सिंह आहूजा एडवोकेट
श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट
————प्रतिपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
समक्ष :– श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह मा0 सदस्य

श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष/न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित

निर्णय

परिवादिनी द्वारा वर्तमान परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध सेवा में कमी के आधार पर वाहन पंजीकरण संख्या यू0 पी0 83/सी0 टी0 2889 का घोषित

बीमा मूल्य (आई0 डी0 वी0) मु0 4,85,600/–रूपये मय ब्याज, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति एवं वाद–व्यय दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– परिवादिनी का संक्षेप मे कथन इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी संख्या 02 द्वारा निर्मित वाहन टाटा ए0 सी0 ई0 गोल्ड डीजल मॉडल पंजीकरण संख्या 83/सी0 टी0 2889, इंजन नम्बर 700CCDI02HZXS46165, व चैसिस नम्बर MAT 559004LZH12711, दिनांक 31.08.2020 को प्रतिपक्षी संख्या 01 डीलर से मु0 5,19,748/–रूपये मे कय किया, जिसके लिए प्रतिपक्षी संख्या 04 ने वित्तीय सहायता प्रदान की। उपरोक्त वाहन का बीमा प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी द्वारा वाहन की (आई0 डी0 वी0) मु0 4,85,600/–रूपये के लिए बीमा करते हुए प्रीमियम मु0 25020/–रूपये प्राप्त की और बीमा पॉलिसी संख्या 2315203562250800000 वैधता दिनांक 31.08.2020 से दिनांक 30.08.2021 निर्गत की गयी। दिनांक 06.02.2021 को समय सुबह करीब 9 बजे उपरोक्त वाहन मे चलते–चलते दक्षिणी बाईपास पर निकट महुअर ग्राम के पास इंजन मे आग लग गयी और उपरोक्त वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम के नम्बर 112 पर दी गयी। दुर्घटना स्थल पर पुलिस की फायर विग्रेड पहुँची और आग बुझाई गयी। परिवादिनी द्वारा कथित दुर्घटना की सूचना थाना मलपुरा, आगरा पर दिनांक 06.02.2020 को दी गयी। तत्पश्चात् उपरोक्त वाहन को परिवादिनी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 01 अशोका ऑटो सेल्स लि0 के वर्कशॉप पर ले जाया गया, जहाँ पर मु0 4,88,136/–रूपये का एस्टीमेट मरम्मत के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बीमा कम्पनी प्रतिपक्षी संख्या 03 को बीमा क्षतिपूर्ति हेतु दिनांक 18.02.2021 को सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये क्लेम संख्या सी–230020380164 प्रस्तुत किया गया, किन्तु प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी द्वारा टोटल लॉस की स्थिति मे वाहन का आई0 डी0 वी0 मूल्य प्रदान न करके, उसका क्लेम अपने पत्र दिनांकित 17.03.2021 के द्वारा **नो क्लेम** करते हुये इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाहन मे तकनीकी खराबी शुरू से थी और बीमा पॉलिसी की शर्त नम्बर 04 के अनुसार बीमा क्लेम प्रश्नगत वाहन का देय नही है। परिवादिनी द्वारा उपरोक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्त का कोई उल्लंघन नही किया गया। निर्माता कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर उपरोक्त

वाहन कई वार सर्विस के लिए ले जाया गया और उसकी कमी को दूर नही किया जा सका। ऐसी स्थिति मे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यदि वाहन मे था, तो उसके लिए निर्माता कम्पनी व डीलर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं और बीमा कम्पनी ने भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत न करके अपने इस आरोप को साबित नही किया कि कथित वाहन मे विनिर्माण दोष के कारण वाहन मे आग लगने की दुर्घटना घटित हुई। परिवादिनी का वाहन प्रतिपक्षी संख्या 01 के वर्कशॉप पर खड़ा है। प्रतिपक्षी संख्या 03 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 02 निर्माता कम्पनी का विनिर्माण दोष कह कर बीमा क्षतिपूर्ति नही की गयी और निर्माता कम्पनी व डीलर प्रतिपक्षी संख्या 03 की कमी बता कर परिवादिनी को क्षतिपूर्ति न करके, सेवा मे कमी कारित की गयी हैं। परिवादिनी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 04 फाइनेंस कम्पनी से लिया गया ऋण चुकता कर दिया गया है और इस संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की उपभोक्ता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध सेवा मे कमी एवं अनुचित व्यापार संव्यवहार के आधार पर इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3— प्रतिपक्षीगण पर नोटिस की तामील पर्याप्त रूप से हुई। प्रतिपक्षी संख्या 03 ने अपना लिखित कथन दिनांकित 22.08.2022 कागज संख्या 37/1 लगायत 37/5 प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत परिवाद के अधिकांश प्रस्तरो को अस्वीकार करते हुये वाहन की बीमा पॉलिसी संख्या 2315203562250800000 वैधता दिनांक 31.08.2020 से दिनांक 30.08.2021 का निर्गत किया जाना स्वीकार किया है। बीमा कम्पनी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि **ऑन डैमेज क्लेम** के निस्तारण के लिए श्री अनूप कुमार पोरवाल इरडा द्वारा अनुमोदित सर्वेयर नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार कार की बायरिंग प्रोब्लम मे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिसे दूर नही किया गया। वाहन की जॉब कार्ड परिवादिनी अथवा प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा दाखिल नही किया गया। इस कारण प्रश्नगत वाहन बार—बार परिवादिनी द्वारा वर्कशॉप मरम्मत हेतु ले जाया गया। बायरिंग में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण परिवादिनी का वाहन दिनांक 06.02.2021 को आग लगने के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसी स्थिति मे बीमा कम्पनी बीमा क्षतिपूर्ति के

लिए पॉलिसी की शर्त संख्या 5 के अनुसार उत्तरदायी नही है। जबकि प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 वाहन मे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार से सेवा मे कमी अथवा अनुचित व्यापार संव्यवहार नही किया गया है । प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 17.03.2021 को बीमा पॉलिसी की शर्तो के क्रम मे परिवादिनी का क्लेम खारिज किया गया है। प्रस्तुत परिवाद बीमा कम्पनी के विरूद्ध गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

4— प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से नोटिस की तामील उपरान्त न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 व 04 के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 14.09.2022 व दिनांक 28.09.2022 को एकपक्षीय सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया।

5— परिवादिनी की ओर से परिवाद के समर्थन मे शपथ पत्र दिनांकित 27.06.2022 कागज संख्या 2/1 लगायत 2/5 प्रस्तुत किया गया। सूची कागज संख्या 03 से 10 अभिलेख परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये, जिसके अन्तर्गत रेपुडेशन लेटर दिनांकित 17.03.2021 की छायाप्रति कागज संख्या 4/1 लगायत 4/3, पुलिस को दी गयी सूचना की छायाप्रति कागज संख्या 05, एस्टीमेट की छायाप्रति कागज संख्या 6/1 लगायत 6/11, बीमा पॉलिसी की छायाप्रति कागज संख्या 07, आर0 सी0 की छायाप्रति कागज संख्या 08, विपक्षी संख्या 01 के वर्कशॉप से किये गये व्हाट्सएप मैसेज की छायाप्रति कागज संख्या 9 लगायत 19, विधिक नोटिस दिनांकित 21.03.2022 की छायप्रति मय ट्रैक कंसाइन रिपोर्ट कागज संख्या 24, चालक राकेश के डी0 एल0 की छायाप्रति कागज संख्या 25 व 26, परिवादिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 27 प्रस्तुत किये गये हैं। साक्ष्य शपथ पत्र के अन्तर्गत परिवादिनी की ओर से शपथ पत्र दिनांकित 15.03.2023 कागज संख्या 40/1लगायत 40/4 प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से रिज्वान्डर शपथ पत्र दिनांकित 27.07.2023 कागज संख्या 48/1 लगायत 48/5 व रिवटल शपथ पत्र दिनांकित 27.07.2023 प्रस्तुत किया गया है। सूची कागज संख्या 53 से प्रतिपक्षी संख्या 04 द्वारा निर्गत

अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 54/1 लगायत 54/2 प्रस्तुत की गयी है।

6– प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी की ओर से प्रति शपथ पत्र दिनांकित 09.05.2023 कागज संख्या 42/1 लगायत 42/5 शपथ पत्र अनूप कुमार पोरवाल सर्वेयर दिनांकित 11.05.2023 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति कागज संख्या 45/1 लगायत 45/20 प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र दिनांकित 12.02.2021 की छायाप्रति कागज संख्या 60/1 लगायत 60/2 व परिवादिनी की ओर से बीमा कम्पनी को सम्बोधित पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 60/3 प्रस्तुत की गयी है।

7– हमने परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कुमार शर्मा एडवोकेट व प्रतिपक्षी संख्या 01 के विद्वान श्री राजीव गोयल एडवोकेट व प्रतिपक्षी संख्या 03 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट के मौखिक तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भली प्रकार अवलोकन किया।

निष्कर्ष

8– परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह बहस की है कि परिवादिनी प्रतिपक्षीगण 1, 2 व 3 की उपभोक्ता है और वे उसके सेवा प्रदाता हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से कोई लिखित कथन प्रस्तुत नही किया गया है और उनके विरूद्ध इस आयोग द्वारा एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने परिवादिनी के वाहन संख्या यू0 पी0 83/सी0 टी0 2889 की बीमा पॉलिसी प्रीमियम मु0 25,020/–रूपये प्राप्त कर निर्गत किया जाना स्वीकार किया है। हमने उभय पक्ष की उपरोक्त बहस के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया। परिवादिनी ने अपने शपथ पत्र के साथ पॉलिसी संख्या 231520356225080000 की छायाप्रति कागज संख्या 07 व आर0 सी0 की छायाप्रति कागज संख्या 08 प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार परिवादिनी वाहन संख्या यू0 पी0 83/ सी0 टी0 2889 की पंजीकृत स्वामिनी है, जिसके लिए उसने उपरोक्त निर्गत बीमा पॉलिसी के लिए 25,020/–रूपये की प्रीमियम का भुगतान

किया है। परिवादिनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (7) के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी मे आती है तथा प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी उसकी सेवा प्रदाता है। इसी प्रकार वाहन की निर्माता कम्पनी प्रतिपक्षी संख्या 02 व डीलर प्रतिपक्षी संख्या 01 भी उसके सेवा प्रदाता हैं।

9– परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गयी है कि दिनांक 06.02.2021 को प्रश्नगत वाहन मे चलते–चलते अचानक आग लग गयी और वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लिए उसने क्लेम संख्या सी–230020380164 सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर, प्रेषित की है, किन्तु बीमा कम्पनी ने गलत तरीके से उसका क्लेम खारिज करके, अनुचित व्यापार संव्यवहार व सेवा मे कमी कारित की है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बहस की है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। यह भी बहस की गयी है कि ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने गलत तरीके से पॉलिसी की शर्त 05 के अन्तर्गत क्लेम खारिज कर, सेवा मे कमी कारित की है। प्रतिपक्षी संख्या 03 के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त बहस का विरोध किया है और यह बहस की है कि पॉलिसी की शर्त 05 के अन्तर्गत दिनांक 17.03.2021 को परिवादिनी का क्लेम खारिज कर किसी प्रकार से सेवा मे कमी कारित नही की गयी है और वाहन मे टैक्नीकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ऐसी स्थिति में वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता कम्पनी व डीलर उत्तरदायी हैं। हमने उपरोक्त बहस के संदर्भ मे पत्रावली का उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूपेण अवलोकन किया। परिवादिनी का कथित वाहन नया था और उसने प्रतिपक्षी संख्या 01 डीलर से दिनांक 31.08.2020 को क्रय किया और उक्त वाहन मे दिनांक 06.02.2021 को इंजन मे आग लग गयी, जिसके कारण प्रश्नगत वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त वाहन को प्रतिपक्षी संख्या 01 डीलर के अधिकृत वर्कशॉप पर ले जाया गया, जहाँ पर उपरोक्त वाहन के मरम्मत का एस्टीमेट कागज संख्या 06/1 लगायत 06/11 के अनुसार 4,88,134/–रूपये का खर्च होना दर्शाया गया हैं। इस प्रकार वाहन की आई0 डी0 वी0 से अधिक धनराशि का मरम्मत पर खर्च होना अनुमानित किया

गया है। ऐसी स्थिति मे वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त (Total loss) की श्रेणी मे आता है। प्रस्तुत मामले मे बीमा कम्पनी के सर्वेयर श्री अनूप कुमार पोरवाल ने भी वाहन का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांकित 20.05.2021 कागज संख्या 45/1 लगायत 45/3 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार भी 4,08,000/—रूपये क्षति होना दर्शाया गया है, अर्थात वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने की श्रेणी मे आता है। सर्वेयर श्री अनूप कुमार पोरवाल ने अपनी रिपोर्ट यह अंकित किया है कि वाहन मे आग वायरिंग समस्या के कारण लगी है और उक्त वायरिंग समस्या वाहन के जॉब कार्ड मे दर्शायी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी अथवा डीलर ने ऐसी कोई विशेषज्ञ की आख्या प्रस्तुत नही की है, जिससे यह सिद्ध हो कि वाहन में टैक्नीकल डिफेक्ट था, जिसके कारण वाहन मे आग लगी। वाहन यदि सर्विस के लिए कई बार गया है और उसमें कोई समस्या रही है तो उसे बिना किसी तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग ड़िफेक्ट की श्रेणी मे नही रखा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने कभी भी निर्माता कम्पनी अथवा डीलर को वाहन मे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की शिकायत नही की। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि बीमा कम्पनी ने क्लेम से बचने के लिए गलत तरीके से परिवादिनी का क्लेम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के आधार पर खारिज किया है, जबकि अपने निष्कर्ष के संदर्भ मे कोई सारवान् साक्ष्य इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। हमने बीमा कम्पनी द्वारा निर्गत पॉलिसी की अनुबन्ध एवं शर्ते कागज संख्या 45/15 लगायत 45/20 का भली प्रकार अवलोकन किया। बीमा कम्पनी ने अपने लिखित कथन मे शर्त नं0 05 के अन्तर्गत क्लेम खारिज किया है और शर्त 05 के अन्तर्गत परिवादिनी का क्लेम खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नही है। जबकि पॉलिसी की सेक्शन—1 शर्त 01 के अनुसार "By fire explosion self ignition or lightning" होने पर वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी है। इस संदर्भ में हम निर्णयज विधि **बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस कं0 बनाम मुकुल अग्रवाल व अन्य 2024 (1 टी ए सी) 28 सुप्रीम कोर्ट** का उद्धरण देना चाहेगें, जिसके अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना में विलम्ब के आधार पर अमान्य करते हुये आई0 डी0 वी0 के आधार पर बीमा धनराशि मय ब्याज सोल्वेज की कटौती करते हुये बीमा धनराशि का भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार

गुरूमेल सिंह बनाम ब्राम मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 2022 लाइव लॉ एस0 सी0 506 का उद्धरण देना चाहेगें जिसके अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गई है कि "While settling the claims, the insurance company should not be too technical and ask for the documents, which the insured is not in a position to produce due to circumstances beyond his control." इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध है कि बीमा कम्पनी ने मनमाने तरीके से परिवादिनी का क्लेम खारिज कर, अनुचित व्यापार संव्यवहार करते हुये सेवा मे कमी कारित की है। प्रस्तुत मामले मे प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस में कोई विधिक बल नही है। परिवादिनी घोषित बीमा मूल्य (आई0 डी0 वी0) मु0 4,85,600/–रूपये से साल्वेज की 10 प्रतिशत की कटौती करते हुये मु0 4,37,040/–रूपये बीमा क्षतिपूर्ति प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी से पाने की अधिकारिणी है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी को मानसिक पीड़ा के अन्तर्गत 20,000/–रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 10000/–रूपये भी दिलाया जाना न्यायसंगत हैं। परिवादिनी का परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के दिनांक से 45 दिन के अन्दर बीमा क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 4,37,040/– (चार लाख सैंतीस हजार चालीस रूपये) परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 28.06.2022 से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित इस आयोग के खाता मे डी0 डी0 के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति के रूप में 20000/– (बीस हजार रूपये) एवं वाद व्यय के रूप में 10000/– (दस हजार रूपये) भी उपरोक्त डी0 डी0 के साथ जमा करे। यदि प्रतिपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी ऐसा करने मे चूक करती है तो परिवादिनी उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक 06

प्रतिशत बार्षिक साधारण ब्याज के स्थान पर 09 प्रतिशत बार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01, 02, व 04 के विरूद्ध खारिज किया जाता है। फाइनेंस कम्पनी प्रतिपक्षी संख्या 04 के द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस मामले में समस्त धनराशि परिवादिनी स्वयं प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी।

(राजीव सिंह) 17.9.25
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार) 17/9/2025
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

आज यह निर्णय खुले आयोग में हस्ताक्षरित व दिनांकित उद्घोषित किया गया।

(राजीव सिंह) 17.9.25
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार) 17/9/2025
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

दिनांक – 17.09.2025
एस0एस0पी0ए0–2